न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 69/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां कोर्ट कैंप
दायरा दिनांकः 16.08.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

सुरेश पुत्र बंशीलाल जाति किराड़, निवासी ग्राम मामोनी, तहसील शाहाबाद, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहाबाद, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृजराज सिंह चौहान, श्री चन्द्रमोहन वर्मा, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 03/2023 बउनवान बनवारी बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 36/2023 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 14.02.2023 से अपीलार्थी को वाके ग्राम देवरी उपरेटी की सरकारी भूमि किस्म बंजड़ सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 01 की 3.00 बीघा भूमि पर फसल सरसों काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह की सिविल कारावास की सजा एवं 45/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 30.05.2024 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है तथा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये बिना सजायाब करने में त्रुटि की है, जबकि उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भूल की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और न हीं सुनवाई का अवसर दिया गया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये बिना सजायाब करने में त्रुटि की है। इस प्रकार अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वाके ग्राम देवरी उपरेटी की सरकारी भूमि किस्म बंजड़ सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 01 की 3.00 बीघा भूमि पर फसल सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह की सिविल कारावास की सजा एवं 45/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने का न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद द्वारा निर्णय दिनांक 14.02.2023 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 30.05.2024 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। अतः अपील खारिज की जावे।

5 प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद द्वारा अपीलार्थी को वाके ग्राम देवरी उपरेटी की सरकारी भूमि किस्म बंजड़ सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 01 की 3.00 बीघा भूमि पर फसल सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह की सिविल कारावास की सजा एवं 45/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 14.02.2023 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.05.2024 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी ने पूर्व में वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया हो। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सम्वत् 2078 में अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण सं0 290/22 निर्णय दिनांक 27.04.2022 से अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने पर सम्वत 2079 में खसरा सं0 01 की रकबा 3 बीघा भूमि पर पुनः अतिक्रमी होने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 14.02.2023 से 45/– रूपये शास्ति आरोपित करते हुए एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थी का कथन रहा है कि उक्त भूमि पर कोई कब्जा अपीलार्थी का नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये बिना सजायाब करने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 30.05.2024 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, शाहाबाद को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि "ग्राम देवरी उपरेटी की सरकारी भूमि किस्म बंजड़ सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 01 की 3.00 वीघा भूमि" पर से अपीलार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने बावत् अपीलार्थी परीक्षण न्यायालय तहसीलदार शाहाबाद में शपथ–पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार, शाहाबाद स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलार्थी/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो एक माह के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

6 निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर, न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 150/2025/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोर्ट बून्दी
दायरा दिनांक 04.04.2025
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. रमेश कुमार आत्मज बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा, तह0 इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
2. धनपाल आत्मज बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा, तह0 इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
3. बुद्धिप्रकाश आत्मज बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा, तह0 इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
4. फुलन्ता पुत्री बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा, तह0 इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
5. बरजी बाई बेवा बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा, तह0 इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

.....अपीलार्थी

बनाम

1. हरिश्चन्द्र आ० भीमराज जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा
2. फूलचन्द आ० भीमराज जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा
3. मांगीबाई पुत्री भीमराज जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज०)

.....रेस्पोडेन्टस

उपस्थित : श्री राजकुमार माथुर अभिभाषक – अपीलार्थीगण
श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1 से 3

::निर्णय::

दिनांक 28.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 209/अपील/2017 बउनवान रमेश कुमार वगैरह बनाम हरिशचन्द्र वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2023 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार लाखेरी द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण सं0 441 दिनांक

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

18.10.2017 ग्राम लक्ष्मीपुरा से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण को अपीलार्थी के द्वारा विधिविरूद्ध साबित करने में असफल रहना वर्णित करते हुए उक्त नामांतरकरण को विधिसम्मत मानते हुए अपील अपीलार्थी निर्णय दिनांक 16.08.2023 से खारिज की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा न. 626 रकबा 0.7700 हेक्टेयर वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का नोताड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी क्र.1 लगायत 4 के पिता एवं अपीलार्थी क्र. 5 के पति बद्रीलाल को वर्ष 1976 में आवंटित हुई थी विवादित नामान्तरकरण से पूर्व उक्त भूमि अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज थी और उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी काबिज काश्त कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। परन्तु उक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 441 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के पक्ष में दिनांक 18.10.2017 से खोल दिया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां प्रस्तुत की जिस पर निर्णय करते हुए जिला कलक्टर बून्दी द्वारा दिनांक 16.08.2023 को उक्त अपील खारिज फरमा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बून्दी द्वारा खोला गया नामान्तरण सं. 441 दिनांक 18.10.2017 वस्तु स्थिति व विधान प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी क्र.1 लगायत 4 के पिता एवं अपीलार्थी क्र. 5 के पति बद्रीलाल को वर्ष 1976 में आवंन्टित कर उनके गैर खातेदारी में दर्ज कर कब्जा मौके पर संभलाया गया तब से उक्त भूमि पर अपीलार्थी कृषि कार्य करता चला आ रहे हैं, परन्तु उक्त तथ्य की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण खोला गया। इस प्रकार विवादित नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल खोलेने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई तथा न हीं कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जो सर्वथा विपरीत वस्तुस्थिति होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर करीब 40 वर्षो से निरन्तर कृषि काश्त करता चला आ रहा है, उक्त तथ्य को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य विवादित नामन्तरकरण तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्ध होने से

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निरस्त किये जानें योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर रेस्पोंडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 को लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त विवादित नामान्तरकरण खोला है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 441 दिनांक 18.10.2017 ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का नोताडा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी को निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 क्र.1 लगायत 3 का नाम विलोपित कर अपीलार्थीगण का नाम पूर्व की भांति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 156 सीलिंग 2008 में पारित दिनांक 13.01.2009 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। जिसकी सूरजमल पुत्र प्रताप एवं अर्जुन पुत्र प्रताप के द्वारा अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की जाने पर अपील खारिज की गई। इस प्रकार अपीलार्थी उक्त दोनों न्यायालय में पक्षकार नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2023 में यह विवेचन किया गया कि प्रकरण में अपीलाधीन नामांतरकरण मूल आदेश नहीं होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी का निर्णय मूल आदेश है। अपीलार्थी को मूल आदेश से आपत्ति होने से उनके द्वारा राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में अपील दायर कर अपने अधिकार का उपयोग किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी क्र.1 लगायत 4 के पिता एवं अपीलार्थी क्र. 5 के पति बद्रीलाल को वर्ष 1976 में आवंटित हुई थी विवादित नामान्तरकरण से पूर्व उक्त भूमि अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज थी और उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी काबिज काश्त कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। परन्तु उक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 441 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के पक्ष में दिनांक 18.10.2017 से खोल दिया। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल खोलेने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार कोई सूचना नहीं दी गई तथा न हीं कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर करीब 40 वर्षो से निरन्तर कृषि काश्त करता चला आ रहा है, उक्त तथ्य को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

में उक्त तथ्य विवादित नामन्तरकरण तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जानें योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 441 दिनांक 18.10.2017 ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का नोताडा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी को निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 क्र.1 लगायत 3 का नाम विलोपित कर अपीलार्थी का नाम पूर्व की भांति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज फरमाये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा अपने विवेचन मे स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 441 दिंनाक 18.10.2017 को विधि विरूद्ध साबित करने मे असफल रहे है। जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 441 दिंनाक 18.10.2017 माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) बून्दी के प्रकरण संख्या 156/2008 सरकार बनाम् अर्जुनराम वगै0 निर्णय दिंनाक 13.01.2009 के तहत रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही के तहत 327 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे से 57 बीघा 15 बिस्वा भूमि सीलिंग सरप्लस घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया है किन्तु पुराने सीलिंग कानून के तहत कुल भूमि में से 278 बीघा 06 बिस्वा भूमि सीलिंग मे अधिग्रहण कर सिवायचक दर्ज की जा चूकी थी। माननीय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण के पूर्वजो का 4 यूनिट भूमि मानते हुए प्रत्येक को 67 बीघा 10 बिस्वा भूमि धारित किये जाने का अधिकारी मानते हुए 270 बीघा भूमि खातेदारी मे दर्ज किये जाने का न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग द्वारा अपने निर्णय मे उल्लेखित किया है, जिसमे से 220 बीघा 11 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज प्रताप के पुत्र रामकिशन अर्जुन, सूरजभान, भीमराज (मृतक) के कायम मुकामान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के खातेदारी मे दर्ज किये जाने का आदेश दिंनाक 04.07.2017 को अपने निर्णय मे पारित किया गया है, उक्त निर्णय के आशय मे तहसीलदार इन्दगढ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 441 दिंनाक 18.10.2017 रेस्पोडेन्टगण के पक्ष मे खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बून्दी के विधिसम्मत निर्णय के अनुरूप रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में खोला गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बून्दी के प्रकरण संख्या 156/सिलिग/2008 सरकार बनाम् अर्जुनराम के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे खारिज हो

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जाने के पश्चात किसी प्रकार से उक्त अपील के माध्यम से नामान्तरकरण संख्या 441 दिनाक 18.10.2017 के विरूद्ध अपील चलने योग्य नही है, क्योंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सीलिंग) बून्दी को निर्णय अंतिम हो चुका है। यदि अपीलार्थी को आपत्ति हो तो माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार लाखेरी द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण सं0 441 दिनांक 18.10.2017 ग्राम लक्ष्मीपुरा से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण को अपीलार्थी के द्वारा विधिविरूद्ध साबित करने में असफल रहना वर्णित करते हुए उक्त नामांतरकरण को विधिसम्मत मानते हुए अपील अपीलार्थी निर्णय दिनांक 16.08.2023 से खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 156 सीलिंग 2008 में पारित दिनांक 13.01.2009 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। वादग्रस्त उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी क्र.1 लगायत 4 के पिता एवं अपीलार्थी क्र. 5 के पति बद्रीलाल को वर्ष 1976 में आवंटित हुई थी, विवादित नामान्तरकरण से पूर्व उक्त भूमि अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज थी और उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी काबिज काश्त कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। परन्तु उक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 441 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के पक्ष में दिनांक 18.10.2017 से खोल दिया। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल खोलेने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार कोई सूचना नहीं दी गई तथा न हीं कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर करीब 40 वर्षो से निरन्तर कृषि काश्त करता चला आ रहा है, उक्त तथ्य को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य विवादित नामन्तरकरण तस्दीक किया है। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि प्रश्नगत उक्त नामान्तरकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बून्दी के विधिसम्मत निर्णय के अनुरूप रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में खोला गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बून्दी के प्रकरण संख्या 156/सीलिंग/2008 सरकार बनाम् अर्जुनराम के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अजमेर मे खारिज हो जाने के पश्चात किसी प्रकार से उक्त अपील के माध्यम से नामान्तरकरण संख्या 441 दिनाक 18.10.2017 के विरूद्ध अपील चलने योग्य नही है, क्योंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सीलिंग) बून्दी को निर्णय अंतिम हो चुका है। यदि अपीलार्थी को आपत्ति हो तो माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी के निर्णय दिनांक 01.06.2017 की पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा की जा चुकी है तथा यह निर्णय (अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी का निर्णय दिनांक 01.06.2017) अंतिम निर्णय हो चुका है। अपीलाधीन नामांतरकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सीलिंग) बून्दी के निर्णय दिनांक 01.06.2017 की पालना में खोला गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पूर्णतया सहमत है कि यदि अपीलार्थी माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के उक्त निर्णय से व्यथित पक्षकार है, तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय के विरूद्ध चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। चूंकि नामान्तरकरण संख्या 441 अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी के आदेश दिनांक 01.06.2017 की पालना में खोला गया है तथा इस निर्णय की पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 16.08.2023 में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा